**हरियाणा सरकार**

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 16 नवम्बर, 2007

**संख्या सी० सी० पी०(एन० सी० आर०)/एफ० डी० पी०/एस० सी० ए०-1/2007/3895.**—पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 5 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राजपत्र (साधारण), दिनांक 24 फरवरी, 2004 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/एफ.डी.पी./एस.सी.ए.-1/2004/419, दिनांक 11 फरवरी, 2004 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करते है, जिनके इसमें प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात सरकार, संशोधन के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, आयोजना भवन, सैक्टर-18 चण्डीगढ़ द्वारा लिखित रूप में संशोधन के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जायें, विचार करेगी।

संशोधन प्रारूप

हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/एफ.डी.पी./एस.सी.ए.-1/2004/419, दिनांक 11 फरवरी, 2004 में ,-

1. "ड्राईंग" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 2 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेगीं, अर्थात्:-

"2. नियंत्रित क्षेत्र सिरसा की अन्तिम विकास योजना ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (एस. आर.) 626/03, दिनांक 11 अगस्त, 2003 तथा तथा पुनरिक्षित ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (एस. आर.)690/07, दिनांक 9 अक्तूबर, 2007";

2. अनुबन्ध क में,-

(i) "2021 ई0" अंक तथा शब्द जहां कहीं भी आयें, के स्थान पर, "2025 ई0" अंक तथा शब्द पतिस्थापित किये जायेंगे;

(ii) "प्लैन के रूपरेखा तथा जनसंख्या के अनुमानित आंकड़े" शीर्ष के नीचे,-

(क) विधमान तालिका के स्थान पर, निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

| "वर्ष | जनसंख्या |
|---|---|
| 2011 | 2,55,000 व्यक्ति |
| 2021 | 3,90,000 व्यक्ति |
| 2025 | 5,25,375 व्यक्ति"; |

(ख) तालिका के नीचे, विधमान पैरा में, द्वित्तीय पक्ति में, "100" अंकों तथा शब्दों के स्थान पर, "134" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

3. "भूमि की आवश्यक्ता तथा भूमि प्रयोग की प्रस्तादनायें" शीर्ष में,-

(क) मद (ड) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(ड) रिहायशी सैक्टरों की घनत्वता 250 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर होगी।";

(ख) "रिहायशी" उपशीर्ष में "विभिन्न घनत्वता 150 से 250 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर" शब्दो तथा अंको के स्थान पर "विभिन्न घनत्वता 250 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर" शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

डी० एस० ढेसी,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

REAL ARCH 9467093464

## HARYANA GOVERNMENT

### TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

### Notification

The 16th November, 2007

**No. CCP (NCR )/F.D.P./S.C.A.-1/2007/3895.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby publishes the following draft of amendment in the Haryana Government, Town and Country Planning Department, notification No. CCP(NCR)/F.D.P./S.C.A.-I/2004/419, dated the 11th February, 2004, published in the Haryana Government Gazette (ordinary), dated the 24th February, 2004, for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of amendment shall be taken into consideration by the Government on or after expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Director, Town and Country Planning Department, Haryana, Aayojna Bhawan ,Sector –18, Chandigarh, from any person in writing in respect of the draft of amendment before the expiry of the period so specified.

**DRAFT OF AMENDMENT**

In the Haryana Government, Town and Country Planning Department, notification No. CCP(NCR)/F.D.P./S.C.A. -1/2004/419, dated the 11th February, 2004,-

1. under heading "Drawings" for serial number 2 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

"2. Final Development Plan of Controlled Area, Sirsa Drawing No. DTP(SR)626/03,dated the 11th August 2003, revised on the Drawing No.DTP(SR) 690/07, dated the 9th October, 2007";

2. in Annexure A,-

(i) for the figures and letters "2021 AD" wherever occurring, the figures and letters "2025AD" shall be substituted;

(ii) under heading "Plan perspective and Population Projection's",-

(a) for the existing table, the following table shall be substituted, namely:-

| "Year | Population |
|---|---|
| 2011 | 2,55,000 Persons |
| 2021 | 3,90,000 Persons |
| 2025 | 5,25,375 Persons" ; |

(b) under the table, in the existing para, in second line, for the figure "100" the figure "134" shall be substituted;

(iii) in heading "Land Requirement and Land Use Proposal",-

(a) for item (e) and entries thereagainst, the following item and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

"(e) the density of residential sector will be 250 persons per hectare";

(b) in the sub-heading " 1 Residential", the words and figures "of various densities ranging from 150 to 250 persons per hectare", the words and figures, "with density of 250 persons per hectare", shall be substituted.

D. S. DHESI,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,

Town and Country Planning Department.